18-04-2026

आवेदक अभियुक्तगण **राज किशोर ठाकुर, अजय ठाकुर एवं रंजय ठाकुरी** की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह मामला भा0द0वि की धारा–376 बगैरह के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के अभियोग से संबंधित है। चिकित्सक ने अपने प्रतिवेदन में यह कथन किया है कि उसने कथित पीड़िता के शरीर पर कोई जख्म नहीं पाया था तथा कथित पीड़िता जो अभियोजन साक्षी सं0–2 के रूप में परिक्षित हुई है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण का घटना से कोई सरोकार नहीं है एवं कथित पीड़ित अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई। अतः अभियुक्तगण को धारा 232 द0प्र0सं0 का लाभ देना न्यायोचित है। विद्वान अपर लोक अभियोजक भी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं। मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि चिकित्सक के साक्ष्य से बलात्कार का अपराध संपुष्ट नहीं हो रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि सोनी कुमारी, जो कथित पीड़िता है एवं कांड की पीड़िता है, ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके घर में एक आदमी घुसा था, जब उसने हल्ला किया तो वह भाग गया। अंधेरे के कारण वह पहचान नहीं सकी। अभियोजन ने इस साक्षी, जो कथित पीड़िता है, को पक्षद्रोही घोषित किया। इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचाना एवं कहा कि ये अभियुक्तगण घटना में शामिल नहीं थे। अभियुक्तगण ग्रामीण हैं इसलिए पहचानती हूँ। मैंने अभियुक्तों की इस मामले के संदर्भ में जांच की। मेरे विचार से जब सूचिका एवं कथित पीड़िता ने ही अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्तगण घटना में शामिल नहीं थे तो मेरे विचार से अभियुक्तगण दं0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत दोषमुक्ति के योग्य है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण **राज किशोर ठाकुर, अजय ठाकुर एवं रंजय ठाकुरी** को भा0द0वि0 की धारा 376, 420, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(i)(s), 3(2)(va) अंतर्गत दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
जमुई।